

अनुबंध-V

[2 जुलाई 2007 के जोखिम प्रबंध और अंतर बैंक लेनदेन पर जारी मास्टर परिपत्र का पैराग्राफ अ 1(ज) देखें]

1 अप्रैल को विदेशी मुद्रा में ऋण जोखिम से संबंधित जानकारी

कंपनी का नाम :

क्रम सं.	कंपनी का नाम	आयात लेनदेन		गैर-व्यापारिक भुगतान	
		दस लाख समकक्ष अमरीकी डॉलर में	पहले ही हेजिंग की गई राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर)	दस लाख समकक्ष अमरीकी डॉलर में @	पहले ही हेजिंग की गई राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर)
		@	#	#	#

टिप्पणी

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I प्रत्येक कंपनी के बैंक के लिए समग्र रूप से उपर्युक्त आंकड़े को समेकित करें कंपनीवार शेष राशि देते हुए एक्सेल फार्मेट में एक रिपोर्ट मुख्य मा प्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, मुंबई 400001 को प्रत्येक वर्ष में 30 जून के पले प्रेषित करें।

@ यदि कोई मुख्य परिवर्तनो तो उन्हें ध्यान में लेते हुए पिछले तीन वर्ष के औसत आधार पर गणन करें ।

वास्तविक आधार पर